

ପ୍ରଥମ କବିତା

वर्ष : 09 अंक : 19

प्रयागराज, बुधवार 19 अप्रैल , 2023

हिन्दी दैनिक

ਪ੍ਰਾਚ—4

मूल्य : 3 रुपया

बिलकिस बानों के दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई गुजरात सरकार को फटकार, कहा, सत्ता का अवैध प्रयोग ना हो

A close-up photograph of a woman wearing a black hijab. She has dark hair and is looking directly at the camera with a neutral expression. Her right hand is raised, with her fingers partially visible behind her head. The background is a solid blue color.

सुनवाई के दौरान कंद्र और गुजरात सरकार की ओर से ४९८ राजू ने कहा कि हम उस आदेश पर पुनर्विचार की मांग कर रहे हैं, जिसमें हमें इस अदालत द्वारा जारी की गई फाइलें पेश करने के लिए कहा गया है। हम रियू दाखिल कर रहे हैं। हमने फाइल पेश करने के लिए समय भी मांगा है। ये सरकार का विशेषाधिकार है। एसवी राजू ने कहा कि 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुर्घट्टना और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के मामले में राज्य सरकार के


11 दाष्ठयों को सजा में छूट दन के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा कि दुर्घट्टम के दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है। पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने भी रिहाई पर सवाल उठाए थे। क्या रिहाई देने के लिए गुजरात सरकार का अधिकार क्षेत्र था ? किस अधिकार क्षेत्र के तहत गुजरात ने रिहाई की ? क्या अदालत ऐसे निकाय को रिहाई पर विचार करने को कह सकती है जिसका

अधिकार क्षेत्र ना हो ? हम इन पहलुओं पर विचार करेंगे। कोआगे कहा कि दोषी करार दिए हर शख्स को एक हजार दिन सेवाक का पैरोल मिला है। हमारा मत है कि जब आप शक्ति का प्रयोग करते हैं तो उसे जनता की भलाई लिए किया जाना चाहिए। चाहे जो भी हों, आप कितने भी ऊंचे ना हों, भले ही राज्य के पास नहीं हो? यह जनता की भलाई के होना चाहिए। ऐसा करना एक समृद्धि और समाज के खिलाफ अपराध कोर्ट ने गुजरात से सरकार से कि दोषियों की रिहाई करके क्या संदेश दे रहे हैं ? आप सेवा तुलना संतरे से कैसे कर सकते हैं इतना ही नहीं आप एक व्यक्ति हत्या की तुलना कर्त्ता लोगों के सामृद्धि हत्या से कैसे कर सकते हैं ? कोई सुनवाई के दौरान कहा कि बार कहने के बावजूद गुजरात सरकार के उम्रक्रांति के दोषियों की समय पूर्व फैसले के दस्तावेज रिकॉर्ड हमारे सामने ला रही है। यदि आप हमें फैसले नहीं दिखाते हैं तो हम अपना निकालेंगे। साथ ही यदि आप प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो आप को अवमानना कर रहे हैं।

इमाचल के चार दिन
प्रवास पर शिमला
दुर्घटी राष्ट्रपति नुर्मला

शिमला। राष्ट्रपति द्वारा पदी मुमूक्षु अहिमाचल के चार दिवसीय प्रवास शिमला पहुंच गई हैं। वह छाराब स्थित कल्प्याणी हैलीपैड पर हैलीकॉर्ट से हिमाचल प्रवास पर पहुंची। राष्ट्रपति शिमला के निकट मशोबरा रिश्ते राष्ट्रपति निवास रिट्रीट में ठहरी हैं। राष्ट्रपति के प्रवास को लेकर रिट्रीट लेकर प्रदेश विश्वविद्यालय तक सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिप्रशासन ने राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत आम लोगों के लिए बाकायदा एडवाइजरी भी जारी की है। राष्ट्रपति के दौरे के दृष्टिगत 19 अप्रैल कैनेडी चौक से बालुगंग सड़क यातायात के लिए बंद रहेगी। उपायुक्त शिमला की ओर से जारी आदेशों अनुसार इस सड़क पर सुबह 10 बजे से सायं 5 बजे तक सभी प्रकार वाहनों का यातायात बंद रहेगा। आपातकाल वाहनों पर ये नियम लानहीं होंगे। द्वारा पदी मुमूक्षु राष्ट्रपति बनके बाद पहली बार शिमला प्रवास पहुंची हैं। शिमला पहुंचने के एक दिन बाद कल 19 अप्रैल को वह प्रदेश विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह बतौर मुख्यातिथि शिरकत करेंगे। राष्ट्रपति 10 मेधावियों को स्वर्ण पद प्रदान कर सम्मानित करेंगी।

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में मनीष सिसोदिया की जमानत पर फैसला सुरक्षित, दिल्ली की कोर्ट 26 अप्रैल को सुनाएगी आदेश



कहा कि अप्रैल के अंत तक मनीष सिसोदिया, अमनदीप सिंह ढाल और अरुण रामचंद्र पिल्लई के खिलाफ चार्जस्टीट दखिल कर दी जाएगी। मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा ईडी का काम ये बताना नहीं है जीओएम और कैबिनेट में क्या हुआ? ईडी को ये बताना चहिए कि अगर कोई अपराध हुआ है तो इससे किसको फायदा पहुंचा है। सिसोदिया के वकील ने कहा कि सिर्फ अनुमानों के आधार पर सिसोदिया को हिरासत में नहीं रखा जा सकता है। उनके खिलाफ कोई मनी लांड्रिंग का मामला नहीं बनता है। सिसोदिया के वकील ने कहा क्या कोर्ट ये कह सकता है कि टेंडर के लिए लॉटरी क्यों निकाली गई? टेंडर के लिए बोली क्यों नहीं लगाई गई? अगर पूर्व उप मुख्यमंत्री ने किसी अधिकारी से कानून के अनुसार काम करने को कहा था, तो इसमें अपराध कहां से हो गया। पूर्व डिप्टी सीएम के वकील ने कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर मार्जिन पर कोई कैप नहीं था, जिसको कम करके 12: किया गया। प्रॉफिट मार्जिन पर 12: का कैप लगाया गया, 5: न्यूनतम कैप था। रवि धवन ब्यूरोक्रेट है, वो कोई भारत के राष्ट्रपति नहीं हैं। रवि धवन के कई सुझावों को हमने शामिल किया, कुछ को हमने स्वीकार नहीं भी किया। इससे पहले सोमवार को दिल्ली की एक अदालत ने इस मामले में सीबीआई और ईडी की ओर से दायर अप्रैल और धनशोधन मामलों में विस्तृत सिसोदिया की न्यायिक हिरासत ली बढ़ा दी थी। सीबीआई मामले सिसोदिया की न्यायिक हिरासत अप्रैल तक और ईडी मामले विस्तृत अप्रैल तक बढ़ा दी गई थी। सिसोदिया को 26 फरवरी को गिरफ्तार किया गया था। बता दें कि सिसोदिया को सीबीआई ने 26 फरवरी को करीब सात घंटे की पूछताएँ बाद गिरफ्तार किया था। बाद में पद से इस्तीफा दे दिया था।

आम बिरला बाल, जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत
का संघर्ष पूरे विश्व को परिवार के रूप में जोड़ेगा

A photograph of a man with a mustache, wearing a light-colored kurta and headphones, speaking into microphones at a podium. He is gesturing with his right hand. The background features green curtains and wooden pillars.

प्रधानमंत्री नरद्र मादा के डेनमार्क दार का जिक्र भी किया। लोकसभा अध्यक्ष ने कहा, 'जी—20 समूह की भारत की अध्यक्षता का आदर्श वाक्य 'एक पश्चिमी, एक परिवार, एक भविष्य है और जलवायु परिवर्तन के विरुद्ध भारत का संघर्ष संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में जोड़गा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि डेनमार्क और भारत की लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता अंतराष्ट्रीय मर्चों पर एक सुदृढ़ साझेदारी को बल देगी। उन्होंने सितंबर 2020 में भारत और डेनमार्क के बीच शुरू हुई हरित रणनीतिक साझेदारी का जिक्र करत हुए कहा तक इस साझेदारी न दोनों देशों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया है। बिरला ने कहा कि आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा ऐश्विक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों, व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों, शोध एवं नवाचार, दोनों देशों के लोगों के बीच सुदृढ़ संपर्क जैसे परस्पर हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग की पर्याप्त संभावनाएं हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में इस साझेदारी से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी।

करत हुए कहा एक इस साझेदारी ने दोनों देशों के बीच समन्वय को बेहतर बनाया है। बिरला ने कहा कि आज जब भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तथा वैशिक और क्षेत्रीय सुरक्षा संबंधी मुद्दों, व्यापारिक एवं आर्थिक संबंधों, शोध एवं नवाचार, दोनों देशों के लोगों के बीच सुदृढ़ संपर्क जैसे परस्पर हित के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच साझेदारी और सहयोग की पर्याप्त संभावनाएँ हैं। उन्होंने आशा व्यक्त की कि आने वाले समय में इस साझेदारी से द्विपक्षीय व्यापार और निवेश में बढ़ोतरी होगी।

कर्नाटकः मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के खिलाफ याचिकाएं, सुप्रीम कोर्ट ने 25 अप्रैल तक टाली सुनवाई

नई दिल्ला। उच्चतम न्यायालय कर्नाटक में मुसलमानों का चाप्रतिशत आरक्षण खत्म करने के चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई मंगलवार को 25 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी इसकी प्रमुख वजह यह रही विधायक राज्य सरकार ने जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से वत्तमांग लिया। न्यायमूर्ति के एक जोसेफ और न्यायमूर्ति बी वै नागरल्ला की पीठ ने कहा कि 1 अप्रैल को राज्य सरकार की ओर से दिए गए इस आश्वासन पर 25 अप्रैल तक रोक रहेही जिसमें कहा गया था कि शिक्षण संस्थानों पर प्रवेश और सरकारी नौकरियों पर नियुक्ति में लिंगायत और वोककलिंग समुदायों को आरक्षण का कोई लाभ नहीं दिया जाएगा। इससे पहले सुनवाई शुरू होते ही राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटेट जनरल ट्रुषार मेहता ने कहा विधायक उन्हें समर्लैंगिक विवाह पर संविधान पीठ के समक्ष बहस करनी चाही और वे सप्ताहांत में आरक्षण के मुकाबले पर जवाब संकलित करेंगे। आरक्षण को चुनौती देने वाले कुछ याचिकाकार्ताओं की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिंहबत



न राज्य सरकार के आग्रह पर काइ ऐतराज नहीं जताया और कहा कि सप्ताहांत तक जवाब दे दिया जाए ताकि वे 25 अप्रैल को सुनवाई की अगली तारीख से पहले इसका अध्ययन कर सकें। पीठ ने मामले को आगे की सुनवाई के लिए 25 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की। उच्चतम न्यायालय ने 13 अप्रैल को कहा था कि मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला प्रथम दृष्ट्या “त्रुटिपूर्ण प्रतीत होता है। कर्नाटक में बसवराज बाम्बई की सरकार ने विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुसलमानों के लिए आरक्षण खत्म करने का फैसला किया था। राज्य में 10 मई को चुनाव हैं। कर्नाटक सरकार ने पीठ को आश्वासन दिया था कि मामले की अगली सुनवाई तक 24 मार्च के सरकारी आदेश के अधार पर कोई नियुक्ति और दाखिला नहीं दिया जाएगा। मुसलमानों के लिए चार प्रतिशत आरक्षण को दो समुदायों के बीच समान रूप से विभाजित किया जाना था। शीघ्र अदालत ने कहा था कि उसके सामने पेश किए गए रिकॉर्ड्स से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला “पूरी तरह से गलत धारणा पर आधारित है। शीघ्र अदालत ने पहले राज्य सरकार और वोकालिंगा और लिंगायत समुदायों का प्रतिनिधित्व करने वाले वकीलों को सरकार के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर अपना जवाब दाखिल करने के लिए 17 अप्रैल तक का समय दिया था।

बाल्डग गरेन से 4 प्रवासी मजदूरों का मात, 20 घायल, 2 गभार



में मरने वाले मजदूरों के परिजनों के प्रत्येक को 8-8 लाख रुपए और धायलू को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। मौके पर नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गांदर, पूर्व विधायक भगवान दास कबीरपंथी, डीसी अनीश यादव एसपी शंशाक कुमार, डीएसपी गौरराम फौगाट, डीलीपीओ राजबीर, बीलीपीओ नरेंद्र सहित अन्य अधिकारी घटना स्थल पर पहुंचे। डीसी अनीश यादव ने कहा कि हादसा बहुत दुखद है। इसमें 4 मजदूरों की मौत हुई है जबकि 20

रहा है। जिस वक्त हादसा हुआ, उवक्त बिल्डिंग में 150 मजदूर सो रथे, जो अन्य खिड़कियों आदि से किरण तरह से निकल गए। उन्होंने कहा कि हादसे के पीछे क्या कारण रहे हैं, इपर कहा कि ऐसा लग रहा है बिल्डिंग अनसेफ है। बिल्डिंग क्यों गिरी, इसके जांच के लिए 5 सदस्यीय टीम गठित की है, जिसकी अध्यक्षता एसडीए करनाल अभिनव द्वारा की जाएगी। उन्होंने कहा कि बिल्डिंग के मालिक के खिलाफ जो कानूनी कार्यवाही होगी वो की जाएगी। हादसे की सूचना मिल ही घटनास्थल पर लोगों की भारी भी जमा हो गई, एक के बाद मजदूरों ने परिजन मौके पर पहुंच गए। जिन संभालने के लिए पुलिस ने कर्मशक्ति करनी पड़ी। राहत का प्रभावित न हो, इसे देखते हुए किसी को भी घटनास्थल के पास नहीं जादिया। लेबर ठेकेदार रामदेव मेहरावासी जिला समस्तीपुर ने पुलिस के शिकायत दी है 250 से अधिक मजदूर काम करते हैं, जो काम करने के बाल मिल के लेबर रुमों में सो जाती हैं। मिल के सामने रसोई घर व बाथरूबना हुआ है, जिसका सारी पानी दीवाने

नई दिल्ली। कांग्रेस ने मुंबई के धारावी क्षेत्र के पुनर्विकास की परियोजना को लेकर मंगलवार को सवाल किया कि क्या अडाणी समूह को फायदा प्रदान किया जाएगा।

के लिए इसकी निविदा के नियम एवं शर्तों में बदलाव किया गया। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह दावा भी किया कि नियम एवं शर्तों में बदलाव के कारण पहले सफल बोली लगाने वाले कंपनी बोली की प्रक्रिया से बाहर हो गई और निविदा अडाणी समूह को मिल गई। अमेरिकी संस्था हिंडनबर्ग रिसर्च की कुछ सप्ताह पहले आई रिपोर्ट में अडाणी समूह पर अनियमितता के आरोप लगाए गए थे और इसके बाद से कंग्रेस इस कारोबारी समूह पर लगातार हमले कर रही है। अडाणी समूह ने सभी आरोपों को निराधार बताया था। रमेश ने एक बयान में कहा, “जब 2018 के नवंबर महीने में निविदा जारी की गई थी तब दुर्बई स्थित सेकलिंक टेक्नॉलॉजी कॉर्पोरेशन ने अपनी प्रतिस्पर्धा करने वाली कंपनी अडाणी इंफ्रास्ट्रक्चर को पीछे छोड़ते हुए 7,200 करोड़ रुपये की सबसे अधिक बोली लगाई थी। रेलवे से संबंधित भूमि के हस्तांतरण से संबंधित मुद्दों के कारण उस निविदा को 2020 के नवंबर में रद्द कर दिया गया। शु उन्होंने दावा किया, “नई शर्तों के साथ एक नई निविदा 2022 के अक्टूबर में महाराष्ट्र सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा जारी की गई। अडाणी समूह ने इस टेंडर को 5,069 करोड़ रुपए की बोली लगाकर जीत लिया, जो पहले की बोली से 2,131 करोड़ रुपए कम है। रमेश ने कहा, ‘नियमों एवं शर्तों में जो बदलाव हुए उसके कारण सेकलिंक को फिर से बोली लगाने का मौका नहीं मिला। साथ ही, बोली लगाने वालों के लिए तय कुल संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए कर दी गई, जिससे बोली लगाने वालों की संख्या सीमित हो गई। उन्होंने सवाल किया, ‘क्या प्रधानमंत्री मोदी ने भाजपा समर्थित महाराष्ट्र सरकार को निविदा के नियम एवं शर्तों को बदलने के लिए मजबूर किया ताकि मूल विजेता को बाहर किया जा सके और एक बार फिर अपने पसंदीदा कारोबारी समूह की मदद की जा सके? क्या झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को भी नहीं बच्चा जाएगा।

जदयू ने जातीय जनगणना पर राहल गांधी के रुख का समर्थन किया

पटना। बिहार में जब एनडीए की सरकार थी तब राज्य में जाति आधारित जनगणना कराने का निर्णय लिया गया था। राज्य में दूसरे चरण की जातीय जनगणना का कार्य चल भी रहा है। इस बीच, कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने भी राष्ट्रीय स्तर पर जाति आधारित जनगणना कराने की बात रखी है। राहुल की मांग का जदयू ने भी समर्थन किया है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने कहा कि राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी ने जाति आधारित जनगणना का समर्थन किया है, जो सामाजिक न्याय की दिशा में एक सही कदम है और इसका स्वागत है। जनता दल (यूनाइटेड) और हमारे नेता नीतीश कुमार की तरफ से इसकी मांग वर्षों से होती रही है। इसबार भी गश्हमंत्री अमित शाह से मिलकर ऐसी मांग की। जनता दल (यूनाइटेड) के 11 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल गश्हमंत्री से मिलकर जातिगत जनगणना करवाने की मांग की, लेकिन वे नहीं माने। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में जातीय गणना कराने का निर्णय लिया, जिसमें भाजपा जानबूझ कर देर करती रही, लेकिन मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्णय के सामने भाजपा को छुकना पड़ा और गणना हो रही है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री बिहार की कई जनहितकारी योजनाओं को अपने राष्ट्रीय योजनाओं में शामिल किया है। सिंह ने प्रधानमंत्री से आग्रह किया है कि जनहित और राष्ट्रहित में इसे भी स्वीकार कर पूरे देश में जाति आधारित जनगणना कराइए ताकि अतिपिछड़े, दलित, पिछड़े और ऊंची जाति के लोगों को आबादी के अनरुप सत्ता में भागीदारी और हिस्सेदारी मिलने का रास्ता साफ़ हो सके।

